



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-17/2016-400

दिनांक : 10.08.2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/ रामगढ़ वन प्रमण्डल/ धनबाद वन प्रमण्डल/ बोकारो वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/ गोड्डा वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण तथा शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) हेतु कुल **रु0 306.541 लाख (तीन करोड़ छः लाख चौवन हजार एक सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-19/2016-04/व0प0 राँची दिनांक 30.05.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-48/2019-04/आ0 व0प0 दिनांक 31.07.2020।

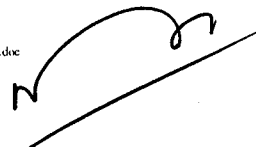
महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 306.541 लाख (तीन करोड़ छः लाख चौवन हजार एक सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101580103	294.115
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101580323	12.426
कुल :-		306.541

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) से 1 (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से 2 (ग)** पर द्रष्टव्य है तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101580103, 19S240601101580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।
7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।



14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्म्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-17/2016-400

दिनांक-10.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ देवघर/ दुमका/ एनवीस सेंटर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-17/2016-400

दिनांक-10.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ रामगढ़/ धनबाद/ बोकारो/ देवघर/ गोड्डा/ हजारीबाग/ कोडरमा/ दुमका/ डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			8274.45	300.00	8574.45
i	iii	iv	viii	ix	x
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रम०, गिरिडीह	250	20.686	0.750	21.436
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रम०, गिरिडीह	200	16.549	0.600	17.149
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	200	16.549	0.600	17.149
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	152	12.576	0.457	13.033
5	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	150	12.412	0.450	12.862
6	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	200	16.549	0.600	17.149
7	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	60	4.965	0.180	5.145
8	सा०वा० प्रमण्डल, हजारीबाग	150	12.412	0.450	12.862
9	सा०वा० प्रमण्डल, कोडरमा	200	16.549	0.600	17.149
10	सा०वा० प्रमण्डल, देवघर	200	16.549	0.600	17.149
11	सा०वा० प्रमण्डल, दुमका	115	9.515	0.345	9.860
12	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्र०, दुमका	90	7.447	0.270	7.717
योग :-		1967.00	162.758	5.902	168.660

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			10590.06	500.00	11090.06
i	iii	iv	viii	ix	x
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रम०, गिरिडीह	90	9.531	0.450	9.981
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रम०, गिरिडीह	60	6.354	0.300	6.654
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	90	9.531	0.450	9.981
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	90	9.531	0.450	9.981
5	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	100	10.590	0.500	11.090
6	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	60	6.354	0.300	6.654
7	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	60	6.354	0.300	6.654
8	सा०वा० प्रमण्डल, हजारीबाग	90	9.531	0.450	9.981

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			8274.45	300.00	8574.45
i	iii	iv	viii	ix	x
9	सा०वा० प्रमण्डल, कोडरमा	60	6.354	0.300	6.654
10	सा०वा० प्रमण्डल, देवघर	50	5.295	0.250	5.545
11	सा०वा० प्रमण्डल, दुमका	90	9.531	0.450	9.981
योग :-		840	88.956	4.200	93.156

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			13677.54	750.00	14427.54
i	iii	iv	viii	ix	x
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	60	8.207	0.450	8.657
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	60	8.207	0.450	8.657
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	70	9.574	0.525	10.099
4	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	30	4.103	0.224	4.327
5	सा०वा० प्रमण्डल, दुमका	90	12.310	0.675	12.985
योग :-		310	42.401	2.324	44.725
सकल योग :-		3117	294.115	12.426	306.541

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० X 2 मी०

मजदूरी दर : 257.29 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35.00	9005.15	0.00	9005.15	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	हे०	0.00	0.00	750.00	750.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3128.65		3128.65	
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे०	6.00	1543.74		1543.74	
योग :-			53.16	13677.54	750.00	14427.54	


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक—

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 257.29 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14.00	3602.06	0.00	3602.06	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	300.00	300.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3128.65		3128.65	
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे०	6.00	1543.74		1543.74	
योग :-			32.16	8274.45	300.00	8574.45	

अनुलग्नक—

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3m x 2m)

मजदूरी दर : 257.29 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	23.00	5917.67	0.00	5917.67	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	12.16	3128.65	0.00	3128.65	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	6.00	1543.74	0.00	1543.74	
योग—			41.16	10590.06	500.00	11090.06	


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

घातृ वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-17/2016/400

दिनांक - 11-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	35988	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	3,842,400.00
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	35989	GRDFOR003 MAMTA PRIYDARSHI GIRIDIH WEST FOR.DIV.	3,111,000.00
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

6,953,400.00

क्रमिक योग:

रुपये उनहत्तर लाख तीरपन हजार चार सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	35990	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	3,565,400.00 रुपये पैंतीस लाख पैंसठ हजार चार सौ
4	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	35993	DHNFOR001 SUBBIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,210,700.00 रुपये बाइस लाख दस हजार सात सौ
5	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	35994	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D F O, BOKARO	2,300,200.00 रुपये तेइस लाख दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

8,076,300.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड पचास लाख उन्तीस हजार सात सौ

15,029,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	35995	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	2,290,300.00 रुपये बाइस लाख नब्बे हजार तीन सौ
7	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	35996	GDDFOR164 DEVIND KUMAR DEO.GODDA FOREST DIVISION	1,542,200.00 रुपये पंद्रह लाख बयालीस हजार दो सौ
8	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	35997	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	2,194,300.00 रुपये इक्कीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ

योग:

6,026,800.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड दस लाख छप्पन हजार पाँच सौ

21,056,500.00


 (NAND KISHORE SINGH)
 ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36000	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	2,290,300.00 रुपये बाइस लाख नब्बे हजार तीन सौ
10	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36001	DGRFORE87 HEMJI ANAND S.F.DIV. DGR	2,184,400.00 रुपये इक्कीस लाख चौरासी हजार चार सौ
11	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36002	DMKFOR003 SOURAV CHANDRA (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	3,135,600.00 रुपये इक्कीस लाख पैंतीस हजार सः सौ
योग:				7,610,300.00
क्रमिक योग:				28,666,800.00

रुपये दो करोड छियासी लाख छठह हजार आठ सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	36003	DMKFOR004 SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O.W.F.P.DUMKA	744,700.00 रुपये सात लाख चवालीस हजार सात सौ
13	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	36004	GRDFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. GIRIDIH EAST FOR DIV.	165,000.00 रुपये एक लाख पैंसठ हजार
14	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	36005	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR DIV.	135,000.00 रुपये एक लाख पैंतीस हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

1,044,700.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड सित्तानवे लाख ग्यारह हजार पाँच सौ

29,711,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36006	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	157,500.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार पाँच सौ
16	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36007	DHNFOR001 BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	90,700.00 रुपये नब्बे हजार सात सौ
17	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36008	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D F O, BOKARO	95,000.00 रुपये पिनचानवे हजार

योग:

343,200.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड चौपन हजार सात सौ

30,054,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36009	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	90,000.00 रुपये नब्बे हजार
19	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36010	GDDFOR164 RAVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	70,400.00 रुपये सत्तर हजार चार सौ
20	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	36011	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	90,000.00 रुपये नब्बे हजार

योग:

250,400.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड तीन लाख पॉच हजार एक सौ

30,305,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
21	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	36012	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	90,000.00 रुपये नब्बे हजार
22	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	36013	DGRFORE87 PREMJIT ANAND D.F.O.S.F.DIV..DGR	85,000.00 रुपये पिचयासी हजार
23	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	36014	DMKFOR003 SOURAV CHANDRA (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	147,000.00 रुपये एक लाख सैतालीस हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

322,000.00

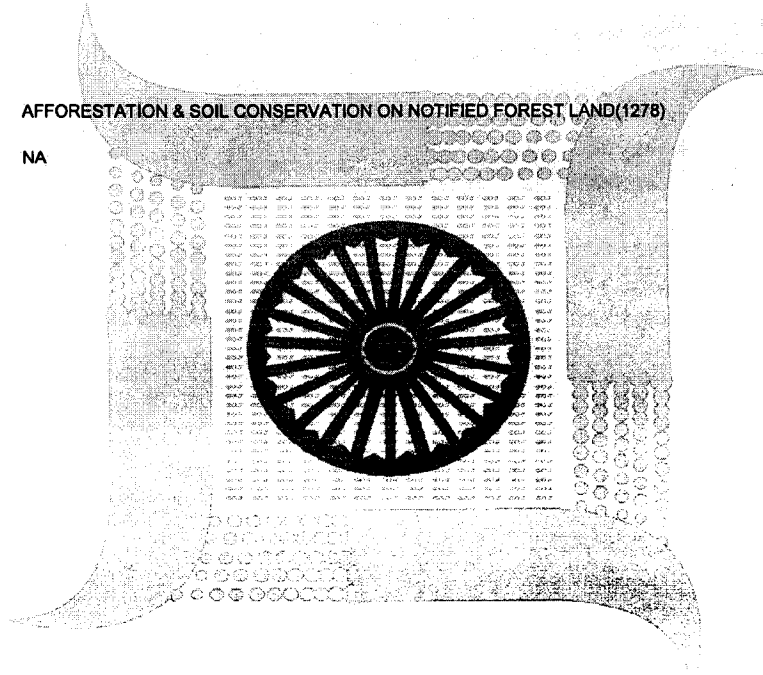
क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड छः लाख सत्ताइस हजार एक सौ

30,627,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	36015	DMKFOR004 SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O.W.F.P.DUMKA	27,000.00 रुपये सत्ताइस हजार
	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	NA			



योग:

27,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड छः लाख चौपन हजार एक सौ

30,654,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND